

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (138) आकाशि/नि.सं./2010/1569

दिनांक:- 15.2.18

आदेश


राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर समिति पर्ल एजुकेशनल सोसायटी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा व पर्ल महाविद्यालय, हनुमान मंदिर के सामने, भीलवाड़ा को सत्र 2018-19 से नाम में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है। सत्र 2018-19 से समिति का नाम पुनीत एजुकेशनल सोसायटी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, महाविद्यालय का नाम पुनीत महाविद्यालय, हनुमान मंदिर के सामने, भीलवाड़ा होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर
दिनांक:

क्रमांक: एफ 4 (138) आकाशि/नि.सं./2010/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
4. कुल सचिव महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर